



-प्रेस नोट-

दिनांक- 05.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा नाबालिंग को सुकुशल बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 03.07.2025 को वादिया की लिखित तहरीर बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिया की नाबिलग पुत्री को भगा ले जाना के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 52/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा नाबालिंग की शीघ्र बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए किया गया जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त **आकाश पुत्र मोहनलाल निवासी लण्ढौरा जनपद सहारनपुर** को भोजपुर गुर्जर गांव के पास से गिरफ्तार किया गया। तथा अपहर्ता को सुकुशल बरामद किया गया। **गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व 5j(ii)/6 पोक्सो एक्ट पोक्सो एक्ट** की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

आकाश पुत्र मोहनलाल निवासी लण्ढौरा थाना नानोता जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त:-

मु0अ0सं0- 504/21 धारा 363 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

- 1.उ0नि0 राकेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
- 2.उ0नि0 पीयूष कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
- 3.का0 2401 दुर्गेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 05.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.07.2025 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **प्रदीप गुप्ता पुत्र रामनिरंजन गुप्ता निवासी गुरुद्वारा रोड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को रेच के पुल से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 01 नाजायज तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर **मु0अ0सं0 202/2025 धारा 3/25 आर्मस एक्ट** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपनी सुरक्षा व राह चलते लोगो को डराने धमकाने व मौहल्ले में रोब जमाने के लिये यह तमंचा रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

प्रदीप गुप्ता पुत्र रामनिरंजन गुप्ता निवासी गुरुद्वारा रोड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 317/23 धारा 294 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 202/25 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री असगर अली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1811 राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1826 मोनू कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 05.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी

शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शराब व नशे के कारोबार में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वक्षेत्र में तथा थाना प्रभारी सरसावा श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.07.2025 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान अभियुक्त **शिवम उर्फ सेट्टी पुत्र रामकुमार निवासी शालीमार गार्डन बाल्मिकि बस्ती करबा व थाना सरसावा सहारनपुर** को ग्राम नानूमाजरा कट पुलिया के पास चकरोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब संतरा हरियाणा मार्का बरामद हुयी। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 236/2025 धारा 63 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने बताया कि मैं नशा करने का आदि हूँ। यह शराब मैं हरियाणा राज्य से सस्ते दामों पर खरीदकर लाता हूँ एवं यहां लाकर मजदूरों को काफी मँहगे दामों में बेचकर मुनाफा कमाता हूँ तथा बची हुई शराब को मैं पी लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शिवम उर्फ सेट्टी पुत्र रामकुमार निवासी शालीमार गार्डन बाल्मिकि बस्ती करबा व थाना सरसावा सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

➤ 12 बोतल अवैध देशी शराब (संतरा हरियाणा मार्का)

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सागर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. का0 1997 विनीत कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।



दिनांक 05.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटे में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये पैसे व अन्य सामान बरामद

अवगत कराना है कि वादी श्री विशाल गुप्ता पुत्र सुभाष चन्द्र गुप्ता निवासी शारदा नगर सहारनपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा दिनांक 04.07.2025 को थाना हाजा पर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के एक्टिवा में रखे 10000/- रुपये व आधार कार्ड व आईसीआईसी एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड व कुछ कागज को चोरी होने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0-121/25 धारा- 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में सम्बन्धित को आवश्यक आदेश निर्देश दिए गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.07.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण कर मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आये अभियुक्त राजकुमार पुत्र हरबंश लाल निवासी राधा विहार कॉलोनी, नुमाईश कैम्प, थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर को कम्पनी बाग के अन्दर से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी के कुल 2930/- रुपये, 01 आधार कार्ड व 01 चाबी (स्कूटी) बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मेरे पास पैसे की तंगी है व कर्ज है मैं रोजाना कंपनी गार्डन में घूमने आता हूँ और कई कई घंटे घूमता रहता हूँ स्कूटी वाले को मैंने स्कूटी खड़ी करते व पर्स को स्कूटी में रखते देखा था तभी मेरी नियत खराब हो गयी और मैंने यह घटना कर दी थी पर्स में 10,000/- रु0 नगद थे और आधार कार्ड था ये मैंने पर्स से निकाल लिया था पर्स को घर जाते समय उत्तम दास डेरे के सामने गंदे नाले में फेंक दिया था। मेरे पास 2930/- रुपये बरामद हुए और बाकी मैंने खर्च कर दिये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:- राजकुमार पुत्र हरबंश लाल निवासी राधा विहार कॉलोनी, नुमाईश कैम्प, थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- कुल 2930/- रुपये
- 01 आधार कार्ड
- 01 चाबी (स्कूटी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
2. का0 1065 अनुजपाल थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
3. का0 102 कपिल कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।



दिनांक: 05.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा **02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 218**

ग्राम चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व नशा तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.07.2025 को चैकिंग के दौरान थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा 02 नशा तस्कर अभियुक्त शमी उर्फ शमीम उर्फ मुस्तकीम पुत्र सत्तार निवासी मोहल्ला गुज्जरवाडा कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर से 98 ग्राम चरस के साथ मंगलौर रोड पर खुराना हस्पिटल के पास से व अभियुक्त 2. अरशद पुत्र मतलूब निवासी मौहल्ला बैरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर से 120 ग्राम चरस के साथ कासिमपुरा फाटक से भायला फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर अभियुक्त शमी उर्फ शमीम उर्फ मुस्तकीम उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-423/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व अभियुक्त अरशद के विरुद्ध मु0अ0सं0-424/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अभियुक्त शमी उर्फ शमीम उर्फ मुस्तकीम पुत्र सत्तार निवासी मोहल्ला गुज्जरवाडा कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. अभियुक्त अरशद पुत्र मतलूब निवासी मौहल्ला बैरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 218 ग्राम अवैध चरस

आपराधिक इतिहास शमी उर्फ शमीम उर्फ मुस्तकीम-

1. मु0अ0सं0 699/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 311/24 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 308/11 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- उ0नि0 श्री केपी सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री संजय यादव थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 3- उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना देवबंद जिला सहारनपुर
- 4- का0 2309 प्रेमचन्द थाना देवबंद जिला सहारनपुर
- 5- का0 2019 राहुल कुमार थाना देवबंद जिला सहारनपुर
- 6- का0 2078 सतेन्द्र कुमार थाना देवबंद जिला सहारनपुर



दिनांक- 05.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा व 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 04.07.2025 को वादी श्री मनोज कुमार पुत्र जेलदार निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी के पुत्र अजब सिंह व साहब सिंह के साथ गाली गलोज करते हुए मारपीट करना व अखिल पुत्र संदीप द्वारा वादी के बेटे अजब सिंह के ऊपर जान से मारने की नियत से तमचे से फायर करना जिससे वादी के बेटे अजब सिंह के मुँह पर चोट आना व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 218/25 धारा 333/109(1)/115(2)/352/351(3) भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 05.07.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.अखिल पुत्र संदीप निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को नकुड़ से ग्राम मुगलमाजरा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना से सम्बन्धित 01 देशी तमंचा .12 बोर व 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अखिल पुत्र संदीप निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ने पूछने पर बताया कि दिनांक 03.07.2025 को रात में करीब 10.00 बजे मेरी अपने ताऊ मनोज के लड़के अजब सिंह के साथ उसकी बहन के इन्सटाग्राम की डीपी पर लगे फोटो को लेकर कहासुनी हो रही थी मैंने गुर्रसे में आकर अपने पास रखे तमचे से अपने ताऊ के लड़के अजब सिंह के उपर जान से मारने की नियत से फायर किया था जो अजब सिंह के मुँह पर लगा था जिससे अजब सिंह घायल हो गया था और जब उसे इलाज के लिए मेरे चाचा प्रमोद व सचिन अस्पताल ले जा रहे थे तो मैंने व कुलदीप ने गली में ही उनकी गाडी को रोका था उसके बाद मैं बचने के लिए इधर उधर जंगलो में घुमता रहा आज मैं हरियाणा जाने की फिराक में किसी वाहन के इन्तजार में खड़ा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.अखिल पुत्र संदीप निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 01 देशी तमंचा.12 बोर
- 01 खोखा (कारतूस) .12 बोर
- जिन्दा कारतूस .12 बोर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
2. निरीक्षक श्री राजीव कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री शौकीन खान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
4. का0 480 प्रवीण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का088 अरुण कर्दम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
6. का0 2082 तुषार अधाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, पुलिस द्वारा शराब कसीदगी करते हुए 03 अभियुक्तों गिरफ्तार कब्जे, से शराब बनाने के उपकरण एवं 220 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/तस्करी के अपराधों में संलग्न अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बडगाँव पुलिस द्वारा दिनांक 05.07.2025 को 03 अभियुक्तों 1. सीताराम उर्फ सीतो पुत्र अन्तू निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर, 2- सूरजपाल पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम शब्बीरपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर व 3- प्रमोद पुत्र दयाराम निवासी ग्राम शब्बीरपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर को जंगल ग्राम नूनाबडी से मय शराब की भट्टी (शराब कसीदगी के उपकरणों) एवं 220 लीटर अवैध कच्ची शराब के गिरफ्तार किया गया। मौके से प्राप्त करीब 400 लीटर लहन को नष्ट कराया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बडगाँव पर मु0अ0सं0 127/2025 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता -

1. सीताराम उर्फ सीतो पुत्र अन्तू निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
2. सूरजपाल पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम शब्बीरपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
3. प्रमोद पुत्र दयाराम निवासी ग्राम शब्बीरपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सीताराम उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 179/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 127/25 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सूरजपाल उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 93/22 धारा 376 भादवि थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 127/25 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रमोद उपरोक्त.

1. मु0अ0सं0 93/22 धारा 376 भादवि थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 127/25 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- 220 लीटर कच्ची शराब
- शराब बनाने के उपकरण

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. श्री विनय शर्मा थानाध्यक्ष थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री आशीष चौधरी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
3. हे0कां0 231 रोहित चौधरी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

4. हे0कां0 843 विवेक कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
5. हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर